राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट जयपुर, दिनांकः 22 मार्च, 2017

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संलग्न चुनाव कार्यक्रम में उल्लेखित नगर निकायों के उप चुनाव दिनांक 26.03.2017 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

अतः संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुये 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधानानुसार मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात **दिनांक 24.03.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 26.03.2017 को सायं 5.00 बजे तक एवं मतगणना दिवस पर दिनांक 28.03.2017 को** मतगणना समाप्ति तक **सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2016/856 दिनांकः 23/3/17

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (जिला सिरोही को छोडकर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट जयपुर, दिनांकः 22 मार्च, 2017

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उपचुनाव मार्च, 2017 के लिये मतदान दिनांक 26.03.2017 को करवाये जाने के निर्देश जारी किये गये है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधान इन चुनाव में भी लागू होंगे।

अतः पंचायत राज संस्थाओं के संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतदान क्षेत्रों एवं इनसे लगते हुये 5. कि.मी. परिधीय क्षेत्र में **दिनांक 24.03.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 26.03.2017 को सायं 5.00 बजे तक तथा मतगणना दिनांक 28.03.2017 को मतगणना समाप्ति तक एवं पंच/सरपंच के निर्वाचन क्षेत्रों में इनसे लगते हुये 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्र में दिनांक 24.03.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 26.03.2017 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

-sd/-
(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2016/855 दिनांकः 23/3/17

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (जिला सिरोही को छोडकर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव